नौवहन
तिमाही

अक्टूबर, 2021 19वां अंक

भारत सरकार
पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
नौवहन महानिदेशालय
बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई-थिंक टैक्नो कैम्पस,
कांजूर मार्ग (पूर्व), मुंबई – 400 042 फोन: 91-22-25752040-43
ई-मेल –helpdesk-dgs@gov.in
वैबसाइट : www.dgshipping.gov.in

ई-न्यूज़लैटर, नौमनि, भारत सरकार
(नौवहन महानिदेशालय का तिमाही न्यूज़लैटर)

<table>
<tr><td>संरक्षक</td><td>श्री अमिताभ कुमार, भारासे, नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार</td><td rowspan="4">संपादकीय...
निदेशालय द्वारा सदैव समुद्रकर्मियों के कल्याण की दिशा में निर्णय लिए जाते रहे हैं। नीति निर्माण में भारतीय समुद्रकर्मियों की सुरक्षा, उनकी मजदूरी हेतु समर्थन, समुद्रीय शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना सदा से केन्द्र बिन्दु में रहे हैं। हाल ही नौमनि ने उन समुद्रकर्मियों को माफी स्कीम के अंतर्गत बिना किसी प्रतिबंध का सामना किए फिर से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान की है। जिनके पास जाली प्रमाणपत्र सीओसी तथा सीओपी की मान्यता को भी आगे बढ़ाया गया है।

कारोबार को करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से नौमनि ने आरपीएसएल ऑडिट की मान्यता को बढ़ाया है और आरपीएसएल के लिए सीआईपी की तारीख को आगे बढ़ाया है। 'शिप स्टेशन लाइसेन्स' के बिना तीन मास की मान्यता वाले अल्पकालिक कार्गो शिप सेफ्टी रेडियो सर्टीफिकेट को जारी किए जाने का प्रावधान किया गया ताकि नए लिए गए पोतों के पंजीकरण में विलंब न हो।

प्रगतिशील भारत तथा यहां की जनता के भव्य इतिहास, संस्कृति विशेषकर समुद्रीय क्षेत्र में इसकी उपलब्धियों के 75 वर्षों की याद में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के कार्यक्रमों तथा विभिन्न गतिविधियों में नौमनि सक्रिय रूप से सहभागिता कर रहा है।

इस ई-न्यूज़लैटर के माध्यम से समुद्रीय जानकारी का प्रचार-प्रसार होता है। आप हमें अपनी राय अवश्य दीजिएगा ताकि हम अपनी सेवाओं को बेहतर कर सकें।

...विमलेन्द्र पाल सिंह भदौरिया</td></tr>
<tr><td>सलाहकार मंडल</td><td>1. श्री कुमार संजय बरियार, आईपीएंडटीएएफएस, अपर नौवहन महानिदेशक

2. श्री एस. बारिक, मुख्य सर्वेक्षक

3. कैप्टन के पी जयकुमार, नॉटिकल सलाहकार (प्रभारी) नौवहन महानिदेशालय

4. श्री नेबु उम्मन, पोत सर्वेक्षक-सह-उमनि (तक.)</td></tr>
<tr><td>संपादक</td><td>श्री विमलेन्द्र पाल सिंह भदौरिया</td></tr>
<tr><td>संपादकीय सहायता</td><td>श्रीयुत श्रीराम</td></tr>
</table>

अस्वीकरण : इस न्यूज़लैटर में निहित सामग्री मात्र सूचना के प्रयोजन से है। इसमें निहित सामग्री के सटीक होने या फिर अधिप्रामाणिक होने का कोई दावा नहीं है, न इस न्यूज़लैटर में दी गई या इसमें कहीं से समाविष्ट की गई किसी भी जानकारी हेतु किसी व्यक्ति या संगठन को उत्तरदायी ही ठहराया जा सकता है।

नौवहन महानिदेशक
एवं
अपर सचिव भारत सरकार का
वक्तव्य...

नौवहन महानिदेशालय ने निरंतर विकासमान वैश्विक तथा राष्ट्रीय नौवहन परिदृय की सूरत बदल इसमें निरंतर सुधार लाना सुनिश्चित करने के लिए कई प्रणालियां विकसित की हैं ताकि समुद्रीय वाणिज्य विभागों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विभिन्न सांविधिक प्रमाणपत्र जारी किए जा सकें साथ ही डिजिटल तरीके से किए गए इस प्रमाणन की अधिप्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित किए जाने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। कारोबार किए जाने में आसानी लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा और इससे अनुपालन संबंधी सुधार लाने में सहायता मिलेगी। यह कदम मेरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के अनुसरण में भी है जिसमें डिजिटाइजेशन और नवाचार की बातें कही गईं हैं।

रोज़गार के ढांचे और विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं के भाग के रूप में यात्री पोतों के माध्यम से पर्यटन को विकसित करने की आवश्यकता को समझते हुए नौमनि ने निर्णय लिया कि कोविड-19 की वजह से देश के भीतर चल रही क्रूज़ गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाए। अपेक्षित एसओपी जिसमें पोत, पत्तन और उसके समक्ष आने वाले क्षेत्रों में प्रत्याशित प्रत्येक गतिविधि हेतु अनुदेश विनिर्दिष्ट हों, उन्हें समाहित किया हो, वे पहले से ही उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं।

जैसा कि भारत का लक्ष्य है कि यह अत्यधिक प्रभावी, उत्तरदायी और आधुनिक समुद्रीय प्रशासन हो , ऐसे में यह बड़ी चिंता की बात है कि भारत अब भी पेरिस और टोक्यो के एमओयू की ग्रे लिस्ट में है। हालांकि, गत कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों से यह दिखा है कि भारतीय पोतों को पोर्ट स्टेट में रोके जाने के मामले कम हुए हैं और यूएससीजी के अंतर्गत कामकाज में सुधार हुआ है। आगामी वर्षों में इसमें और सुधार किया जाना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत यूएससीजी क्वालशिप 21 प्रोग्राम हेतु पात्रता प्राप्त कर ले और पेरिस तथा टोक्यो एमओयू की व्हाइट लिस्ट में ये आ जाए। इसके भाग के रूप में, नौवहन महानिदेशालय ने पोर्ट स्टेट कंट्रोल (पीएससी) और फ्लैग स्टेट इन्सपेक्शन (एफएसआई) पर वार्षिक रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की। लगातार 12वें वर्ष भारतीय और / या विदेशी ध्वज़ जलयानों के फ्लैग स्टेट इन्सपेक्शन और पोर्ट स्टेट कंट्रोल संबंधी कामकाज के बारे में यह एक विस्तृत सूचना परक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से वैज्ञानिक निर्णयों को लेने में सहायता मिलेगी और भारतीय नौवहन को सुरक्षाप्रद बनाने तथा भारतीय तट को अपघातों से मुक्त रखने में सभी हितधारियों द्वारा समुचित समय और संशोधनों को लगाया जा सकेगा।

कोविड के दौरान समुद्रकर्मियों को कार्य पर लगाए जा सकने संबंधी क्षमता को बनाए रखने तथा समय-समय पर अपेक्षित अन्य आवश्यकताओं हेतु विभिन्न ई-पहलों सहित समुद्रकर्मियों तथा उनके परिवारीजनों को वित्तीय सहयोग एवं शैक्षणिक सहयोग देने हेतु विभिन्न स्कीमों के रूप मे निदेशालय अपने लक्ष्य के तौर पर हर संभव प्रयास कर रहा है।

श्री अमिताभ कुमार, भारासे,
नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नौवहन महानिदेशालय सक्रिय रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। नौमनि, इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों ने राष्ट्रगान में भाग लिया जिस हेतु उन्हें राष्ट्रगान में सफल प्रतिभागिता के लिए प्रतिभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। नौमनि ने पर्यटन मंत्रालय एवं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित वेबीनार में भी भाग लिया।

प्रशिक्षण

माफी स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को दोबारा करवाए जाने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31.12.2021 तक कर दिया गया।

नौमनि माफी योजना

नौमनि ने निम्नोक्त रूप से माफी स्कीम के अंतर्गत क्रमश: दिनांक 03.07.2020 और दिनांक 12.01.2021 के नौमनि आदेश सं. 1/2020 के संशोधन 1 और 2, दिनांक 30.01.2020 के आदेश सं. 1/2020 के अनुपालन हेतु समय सीमा को अपने नौमनि आदेश सं. 26/2021 दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से बढ़ा दिया है :

> "जिन अभ्यर्थियों ने फिर से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं किए हैं वे इन्हें 31.12.2021 तक कर सकते हैं और अपनी ई-माइग्रेन्ट सुविधा को रीस्टोर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और 10 दिन के भीतर इसे रीस्टोर कर दिया जाएगा"।

"किसी अन्य समुद्रकर्मी ने गलती से प्राप्त किया गया प्रमाणपत्र निदेशालय को यदि 31.08.2020 तक लौटा दिया तो उसे अनुमति होगी कि वह बिना किसी प्रतिबंध का सामना किए 31.12.2021 तक पाठ्यक्रम कर सके। वापो (सीडीसी-सह-एसआईडी) नियम के अनुसरण में यह सुविधा उन समुद्रकर्मियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने गलती से प्राप्त किया गया प्रमाणपत्र निदेशालय को दिनांक 31.08.2021 के पश्चात लौटाया हो और उन पर रोक लग सकता है "।

रोक से बचने हेतु समुद्रकर्मी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

उन्नत टैंकर पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश मानदंड

अभ्यर्थी को यदि मात्र एडवांस्ड टैंकर कोर्स कंप्लीशन सर्टीफिकेट की आवश्यकता हो यानी उनका मंतव्य एडवांस्ड टैंकर इन्डोर्समेंट या (सीओपी) हेतु आवेदन करने का ने हो तो दिनांक 18.02.2020 के प्रशिक्षण परिपत्र सं. 06/2020 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के खंड चार में विनिर्दिष्ट मानदंडों के स्थान पर, नौमनि अनुमोदित बेसिक टैंकर कोर्स के होने पर संबंधित उन्नत पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की अनुमति होगी। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों ने यथासंशोधित एसटीसीडबल्यू 78 के अनुसार संबंधित टैंकर जलयान पर तीन मास की समुद्री सेवा नहीं की होगी वे एडवांस्ड टैंकर इन्डोर्समेंट या सीओसी जारी किए जाने के पात्र नहीं होंगे। विस्तृत विवरण हेतु अभ्यर्थी दिनांक 29.07.2021 के नौमनि परिपत्र सं. 22/2021 का अवलोकन करें।

क्रू

समुद्री वाणिज्य (समुद्रीय श्रम) संशोधन नियम, 2021

केन्द्रीय सरकार ने समुद्रीय श्रम कन्वेंशन के प्रावधानों के संबंध में वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रीय श्रम) संशोधन नियम, 2021 दिनांक 28 जून, 2021 के सा.का. नि 441 (ई) के माध्यम से भारत के राजपत्र के आसाधारण, भाग-II खंड-3 उप खंड (1) के अंतर्गत अधिसूचित किए हैं, इसकी प्रतिलिपि, नौमनि की वैबसाइट पर उपलब्ध, दिनांक 13.07.2021 के नौमनि परिपत्र सं. 21/2021 के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

समुद्रकर्मियों के भर्ती और नियोजन के लाइसेंस की मान्यता और आरपीएसएल के ऑडिट के समय सीमा को बढ़ाया जाना।

नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 26.07.2021 के नौमनि आदेश सं. 27/2021 के माध्यम से दिनांक 01.08.2021 और 31.10.2021 (दोनों दिन शामिल) के बीच समाप्त होने वाले आरपीएसएल की मान्यता को

बढ़ा कर आरपीएसएल की वार्षिक / नवीकरण ऑडिट करवाए जाने के प्रयोजनार्थ 31.12.2021 तक बढ़ा दिया गया है बशर्ते आरपीएसएल की बैंक गारंटी मान्य हो।

आरपीएसएल के लिए व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम अस्थगित किया गया

नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 26.07.2021 की वापोप सूचना सं. 05/2021 के माध्यम से कोविड-19 महामारी की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भर्ती और नियोजन सेवा लाइसेंसों (आरपीएसएल) हेतु कार्यान्वयन वयापक निरीक्षण कार्यक्रम की प्रभावी तारीख को 31 अक्टूबर, 2021 तक अस्थगित कर दिया गया है।

कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय समुद्रकर्मी और उनके परिवारीजनों के लाभार्थ चल रही हेल्पलाइन नंबर

नौवहन महानिदेशालय को बताया गया कि नौवहन कंपनियों की विभिन्न एसोसिएशनों और समुद्रकर्मी यूनियनों ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय समुद्रकर्मियों और उनके परिवारीजनों के लाभार्थ अनन्य रूप से हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं तथा निदेशालय में दिनांक 11.08.2021 के नौमनि परिपत्र सं. 23/2021 के माध्यम से यह जताया कि की गई इन पहलों से अवकाश पर गए भारतीय समुद्रकर्मियों तथा उनके परिवारीजनों के लिए कोविड काउंसलिंग तथा उनके मन की शांति के लिए ये सहायक सिद्ध होंगी :

क्र. सं.	पहल का नाम	विवरण

1.	पहुँच (मासा-फोसमा द्वारा)	मनोवैज्ञानिक सहायता, चिकित्सा प्रश्नों की काउंसलिंग हेतु 24x7 हेल्पलाइन फ़ोन नंबर+91 8069123344 ई-मेल: reach@3cubemedicare.com
2.	सहारा (नूसी द्वारा)	समुद्रकर्मी और उनके परिवारीजनों के लिए मनोवैज्ञानिक हेल्पलाइन फ़ोन नंबर: 1800-102-5110 (नि:शुल्क) व्हाट्एप नंबर: +91 -9833991880
3.	वी टीम काउंसलिंग सर्विसेज़ (सिनर्जी मेरीटाइम रिक्रूटमेंट सर्विसेज़ प्रा.लि.)	समुद्रकर्मियों को तनावमुक्त करने के लिए 24x7 गोपनीय नि:शुल्क हेल्पलाइन: 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध, फ़ोन नंबर : 1800 890 3315 (नि:शुल्क) समय: सोमवार से शनिवार: 0800 – 2200 ई-मेल: support@weareweteam.com

निरस्त किए गए सीडीसी लौटाना

भारतीय मूल के उन समुद्रकर्मियों को निदेश जारी किया गया था जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तथा उनके पास भारतीय सतत् उन्मोचन प्रमाण पत्र (सीडीसी) है, कि वे इसे अपने अधिकारी क्षेत्र वाले नाविकपाल, सरकारी नौवहन कार्यालय को इसके निरस्त किए जाने के लिए लौटा दें। दिनांक 25.08.2021 की वापोप सूचना सं. 06/2021 के माध्यम से नौवहन महानिदेशालय ने यह निर्णय लिया कि सीडीसी को निरस्त किए जाने के उपरांत इस पर आवश्यक पृष्ठांकनों सहित धारक को वापस लौटा दी जाए। तथापि, समुद्रकर्मी के समुद्री सेवा संबंधी अभिलेख भावी संदर्भ हेतु डीजीएस के ऑनलाइन प्रणाली पर रखें जाएंगे।

लंबित दावे प्रस्तुत किया जाना

"जिन समुद्रकर्मियों ने मेसर्स टैक ऑफशोर लिमिटेड के जलयान एमटी टैग नव्या, एमवी टैग-22 और एमवी टैग-15 पर पोतस्थ सेवा प्रदान की है और जिनके कोई दावे बकाया है उन्हें एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे प्रोटोनोटरी और सीनियर मास्टर माननीय उच्च न्यायालय, बाम्बे, फोर्ट, मुंबई-400001 से संपर्क करें और एडमिरल्टी (समुद्रीय दावों का न्यायाधिकार क्षेत्र

तथा निपटान) अधिनियम, 2017 के अनुसार अपने दावे प्रस्तुत करें। उपर्युक्त जानकारी नाविक पाल, मुंबई द्वारा दिनांक 06.08.2021 की अपनी सूचना सं. जीएसओ- 15 / 8/2020-जीएसओ/960 के माध्यम से परिपत्रित की है। प्रभावित समुद्रकमी शीघ्र अपने दावे प्रस्तुत करें।

बीएसआईडी हेतु डाटा फिर से लिया जाना

भारत के अधिकतर राज्यों में कोविड के मामलों में कमी आने और जनसाधारण की आवाजाही से संबंधित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई छूट तथा जारी किए गए परिशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए, नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 07.09.2021 के नौमनि परिपत्र सं. 25/2021 के माध्यम से यह निर्णय लिया कि सख्त प्रोटोकॉलों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से डाटा एकत्र करने वाले समस्त नौ केन्द्रों से भारतीय समुद्रकर्मियों को बीएसआईडी जारी किए जाने के लिए डाटा फिर से दर्ज किया जाए।

एमटीओ

आयात-निर्यात व्यापार संबंधी लेनदेन खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए सलाह

नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 14.09.2021 के अपने नौमनि परिपत्र सं. 26/2021 के माध्यम से इस बात पर पुन: बल दिया कि भारत में कारोबार करने वाले सभी शिपिंग लाइन फ्रैट फॉरवर्डरों / एनवीओसीसी / एमटीओ / सीएचए,

(ए) कंटेनरों के निर्यात रेल भाड़े हेतु समुचित रेलवे प्राधिकारियों को सीधे भुगतान के लिए आयात-निर्यात व्यापार में अनुमति प्रदान करेंगे; और

(बी) कंटेनरों की किसी प्राथमिकता हेतु कोई विशेष प्राथमिकता शुल्क नहीं लेंगे।

28.09.21 के अनुसार मान्य एमटीओ की सूची

नौवहन महानिदेशालय ने, निर्यात हेतु प्रभार में लिए गए माल के लिए एमटीडी जारी करने के प्रयोजन से, एमएमटीजी अधिनियम, 1993 के अंतर्गत, नौवहन महानिदेशालय, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, मुंबई के यहां 28.09.2021 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत, मान्य एमटीओ की सूची नौमनि की वैबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

नॉटिकल

एलसीएचएस पाठ्यक्रम अस्थाई रूप से सीओपी के लिए अनिवार्य नहीं है

इसे ध्यान में रखते हुए कि चल रही कोविड महामारी के कारण वर्तमान में लिक्विड कार्गो हैंडलिंग सिमुलेटर कोर्स नहीं चलाया जा रहा है, नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 15.07.2021 की अपनी वापोप सूचना सं. 04/2021 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि तेल टैंकर कार्गो प्रचालनों के लिए उन्नत प्रशिक्षण में प्रवीणता प्राप्त प्रमाण पत्र (सीओपी) को जारी किए जाने के लिए अस्थाई रूप से अनिवार्य न माना जाए। ऐसे मामलों में तेल टैंकर कार्गो प्रचालनों हेतु उन्नत प्रशिक्षण में सीओपी 21 दिसंबर, 2022 तक अवधि के लिए जारी किया गया। इस छूट के आधार पर जिन अधिकारियों ने सीओपी प्राप्त किया उन सभी के लिए हालांकि, यह अपेक्षित होगा कि वे एलसीएचएस पाठ्यक्रम के दोबारा शुरू होते ही इसे कर लें। एलसीएचएस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर 5 वर्ष की पूरी अवधि हेतु प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

नौमनि ने 03 मास के अल्पकालिक पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र पर विचार किया है

पोतों का अधिग्रहण करते ही 'शिप स्टेशन लाइसेंस' प्राप्त करने में भारतीय पोत स्वामियों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए और नए अधिग्रहीत भारतीय पोतों को विलंब में पड़ने से बचाने के लिए तथा भारतीय नौवहन की बढ़ोतरी को संवर्द्धित करने के लिए नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 06.08.2021 के नौमनि आदेश सं. 28/2021 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि भारतीय ध्वज़ में पोतों के नए अधिग्रहण के मामलों में, इस निदेशालय द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा यह सत्यापित किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या 'शिप स्टेशन लाइसेंस' प्राप्त करने के लिए संचार मंत्रालय के समुचित कार्यालय को आवेदन किया गया है या नहीं तथा अल्पकालिक कार्गो पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र को जारी किए जाने से पहले 'शिप

स्टेशन लाइसेंस' के होने में भारतीय ध्वज़ में आने वाले नव अधिग्रहीत पोत पर जोर डाले जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दशाओं में जब पोतों को 'शिप स्टेशन लाइसेंस' यदि न मिल पाया हो तो 03 मास की मान्यता वाला अल्पकालिक कार्गो पोत रेडियो सुरक्षा प्रमाणपत्र ऐसे जलयानों हेतु मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा जारी किया जाए।

भारतीय समुद्र में अंतर्देशीय यात्री पोत संबंधी गतिविधियों को पुन: आरंभ किए जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)

कोविड-19 के कारण यात्री पोत गतिविधियां निलंबित कर दी गईं थी। नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 22.09.2021 के नौमनि आदेश सं. 31/2021 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि धीरे-धीरे अंतर्देशीय यात्री पोत गतिविधियां पुन: आरंभ की जाएं और तदनुसार यात्री पोत गतिविधियों के लिए एसओपी को विकसित किया गया है।

पोत, पत्तन और इनके समक्ष आने वाले क्षेत्रों में प्रत्याशित प्रत्येक गतिविधि के लिए विनिर्दिष्ट अनुदेश एसओपी में दिए गए हैं और इसे निम्नानुसार चार भागों में विभाजित किया गया है :

1. अनुलग्नक - I: यात्री पोत संबंधी यात्रा की शुरूआत के लिए सामान्य अनुदेश;
2. अनुलग्नक - II: यात्री पोत यात्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत;
3. अनुलग्नक - III: प्रमुख हितधारियों (क्रूज़ लाइन्स) के लिए विशिष्ट प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धांत;
4. अनुलग्नक - IV: प्रमुख हितधारियों (जलपोत पत्तन) के लिए विशिष्ट प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धांत।

उक्त नौमनि आदेश के साथ एसओपी संलग्न है।

इंजीनियरिंग

सक्षमता प्रमाण पत्र तथा प्रवीणता प्रमाण पत्र की समय सीमा बढ़ाया जाना

समुद्रकर्मियों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक समस्त भारतीय समुद्रकर्मियों का टीकाकरण पूरा होना अभी बाकी है तथा तात्कालिकता के आधार पर जिन समुद्रकर्मियों को टीका लग चुका है उनके प्रमाण पत्रों की समय सीमा या तो समाप्त हो चुकी है या जल्द ही समाप्त होने को है। ऐसे में नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 09.08.2021 के अपने नौमनि आदेश सं. 29/2021 के माध्यम से समस्त समुद्रकर्मियों के सीओसी और सीओसी की समय सीमा को बढ़ा कर 31 दिसंबर, 2022 या एक संविदा तक में से जो पहले हो उस समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है और भले ही समुद्रकर्मी ने किसी गत आदेश / एसओपी के अंतर्गत इसे बढ़वाया हो बशर्ते उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों पर वह खरा उतरता हो।

नौमनि ने ई-आरूप में सांविधिक प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए प्रणाली विकसित की है

इसे जानते हुए कि मेरीटाइम विज़न 2030 प्रलेख का प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि डिजिटाइजेशन और कृत्रिम मेधा के माध्यम से समुद्रीय जगत में डिजिटाइजेशन और नवाचार को गति प्रदान को की जाए, नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 13.08.2021 के नौमनि आदेश सं. 30/2021 के माध्यम से समुद्रीय वाणिज्य विभागों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विभिन्न सांविधिक प्रमाण पत्रों को जारी किए जाने के लिए नई प्रणालियां विकसित की हैं। उक्त आदेश में आवेदन, एसओपी, डाउनलोड करने, सेब करने, प्रमाणपत्रों को प्रिंट आदि करने के तरीके को विस्तार से बताया गया है।

सबसे महत्व की बात तो यह है कि डिजिटल तरीके से जारी किए गए इन प्रमाणपत्रों की अधिप्रामाणिकता को www.dgshipping.gov.in पर पहुँच कर "शिप स्टैचुटरी एंड सर्टीफिकेट्स चैकर" पर क्लिक करने के बाद जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या और पोतों के आईएमओ नंबर प्रविष्ट कर सत्यापित किया जा सकता है।

नौमनि द्वारा पीएससी और एफएसआई पर वार्षिक रिपोर्ट 2020 का प्रकाशन

नौवहन महानिदेशालय ने पत्तन राष्ट्र नियंत्रण (पीएससी) और ध्वज़ राष्ट्र निरीक्षण (एफएसआई) पर वार्षिक रिपोर्ट 2020 का प्रकाशन किया है। लगातार 12वें वर्ष भारतीय और / या भारतीय ध्वज़ जलयानों के पत्तन राष्ट्र नियंत्रण और ध्वंज़ राष्ट्र निरीक्षण के निष्पादन के बारे में व्यापक और सूचनापरक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता और सभी हितधारियों द्वारा समय और संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से लगाए जाने में सहायता मिलेगी जिससे भारतीय नौवहन सुरक्षाप्रद हो और भारतीय समुद्र तट अपघातों से मुक्त हो।

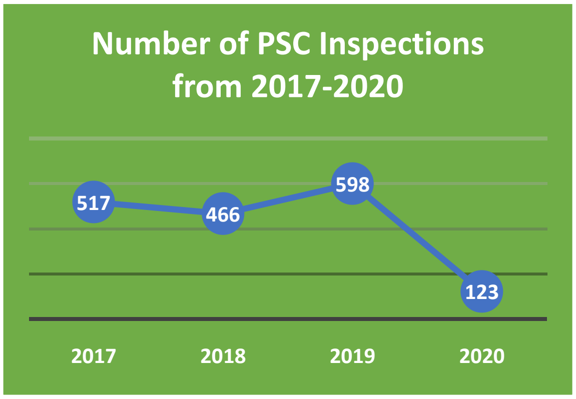

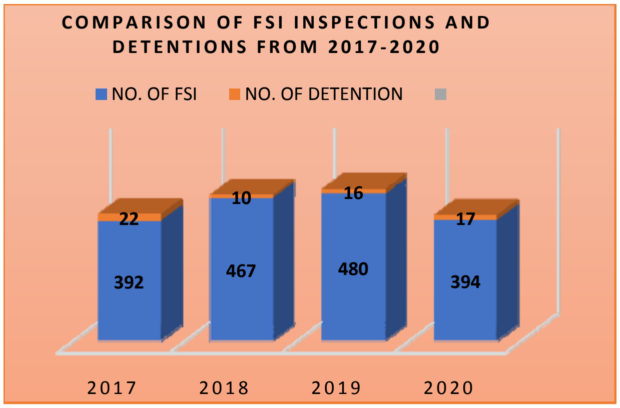

नौवास्तु

पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति

निदेशालय दिनांक 27.10.2017 को जारी एसवाई-16023/6/2015-एसबीआर के माध्यम से जारी, अक्टूबर, 2017 में यथासंशोधित और इसके बाद नवंबर, 2020 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा चलाई गई ‘पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति 2016-2026’ का कार्यान्वयन कर रहा है।

एसबीएफए नीति के अंतर्गत, मंत्रालय भारतीय पोत निर्माण उद्योग के संवर्द्धन हेतु 1 अप्रैल, 2016 से मार्च 31, 2026 के बीच, उक्त दोनो तिथियों सहित, हस्ताक्षरित संविदों हेतु भारतीय पोतगाहों को संविदा मूल्य, वास्तविक प्राप्तियों, उचित मूल्य (जो कम हो) के 20% की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। इस नीति के अंतर्गत हर तीन साल पर दी गई वित्तीय सहायता में 3% की कमी आएगी। नीति के विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत मंत्रालय तथा नौवहन महानिदेशालय की वैबसाइट पर उपलबध हैं।

समूची प्रक्रिया, पोतगाह के एकबारगी पंजीकरण से लेकर, पोतगाहों द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने, वित्तीय सहायता पाने के लिए आवेदन करने, सक्षम प्राधिकारी आदि द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया तथा प्रलेखों की प्रस्तुत करने का कार्य इस प्रयोजन हेतु विकसित किए गए वैब पोर्टल (www.shipbuilding.nic.in) पर ऑनलाइन किया जाता है। इस वैब पोर्टल की वजह से आवेदन करने, प्रलेखों को प्रस्तुत करने, जांच करने, वित्तीय सहायता के अनुमोदन तथा संस्तुति से संबंधित कार्यों में अब भौतिक लेनदेन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। स्कीम की वर्तमान स्थिति से संबंधित डाटा नीचे तालिका में दिया गया है :

सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए आवेदन	आवेदन (जलयान)	संविदा मूल्य (करोड़ों में)
कुल प्राप्त	90(160)	2200.33
अनुमोदित	82(136)	1831.51

नौवहन विकास

भारतीय पोत

भारतीय नियंत्रण वाले पोतों सहित भारतीय पोत नीचे ग्राफ में दर्शाए गए हैं :

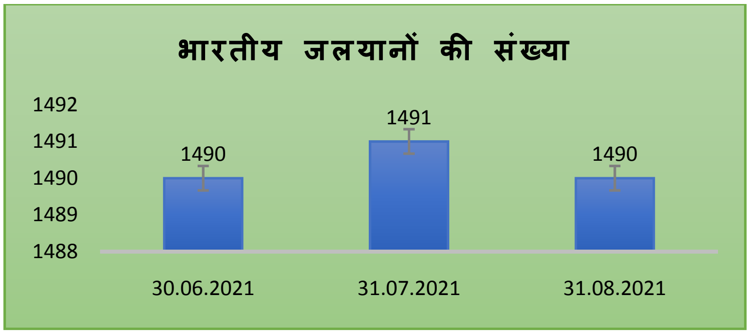

- विकासशील देशों में से भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन का बेड़ा सबसे बड़े बेड़ों में से एक है;
- वर्तमान में भारत 18वें;
- बेड़े की औसत आयु 17.3 वर्ष है।

एनएमडीसी

नौवहन महानिदेशालय ने 'विश्व समुद्री दिवस, 2021' और 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाया

श्री अमिताभ कुमार, भारासे, नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार तथा अध्यक्ष राष्ट्रीय समुद्रीय दिवस समारोह समिति (केन्द्रीय) के मार्गदर्शन के अंतर्गत 28 सिंतंबर,2021 के विश्व समुद्रीय दिवस, 2021 आभासी रूप में मनाया गया ।

इस दिवस की थीम, "सीफेयरर्स:ऐट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर" थी, नागरी समाज के लिए समुद्रकर्मियों द्वारा किए गए महती प्रयासों और चुनौती भरे समय के वाजूद अनिवार्य साजो-सामान की विश्व भर में आपूर्ति बनाए रखने में उनकी भूमिका को याद किया गया ।

श्री अतुल उबाले, राष्ट्रीय समुद्रीय दिवस समारोह (आयोजन) समिति ने कार्यक्रम में पधारे सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और इस दिवस को मनाए जाने की पृष्ठभूमि का वर्णन किया । श्री किटक लिम, माननीय महासचिव, आईएमओ का वीडियो संदेश सुनवाया गया जिसमें उन्होंने दुनिया भर के 15 लाख से ज्यादा समुद्रकर्मियों की प्रतिबद्धता और उनकी पेशेवर क्षमताओं के प्रति कृतज्ञता जताई और प्रशंसा की ।

श्री स्टीफ़न कॉटन, महासचिव अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (आईटीएफ) ने कोविड के समय भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और हमारे समुद्रकर्मियों को प्रोत्साहित किया कि वे इस समय में अपने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन को बनाए रखें ।

श्री अमिताभ कुमार, भारासे, नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय समुद्रीय दिवस समारोह समिति (केन्द्रीय) ने सरकार द्वारा उठाए गए उन कदमों के बारे बताया जो कि कोविड के दौरान समुद्रकर्मियों तथा उनके परिवारीजनों को वित्तीय सहयोग एवं शैक्षणिक सहयोग प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों के रूप में किए गए तथा विभिन्न ई-पहलों के बारे में बताया जो कि समुद्रकर्मियों की नियोजन योग्यता को बरकरार बनाए रखने के लिए की गईं । आपने कहा कि

समुद्रकर्मियों के द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूप से सीमाओं को खोले जाने के लिए मामले उठाने की आवश्यकता है कि उनके नियोजन के दौरान उनकी सभी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए ।

आईएमओ द्वारा चुनी गई थीम पर समुद्र यात्रारत कुछ समुद्रकर्मियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और क्रू बदले जाने, समुद्री पर्यावरण तथा समुद्रकर्मी, समुद्रकर्मियों की सुरक्षा तथा लैंगिक विविधता आदि जैसे विषयों पर बल दिया ।

मार्च, 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिला अधिकारियों के साथ समुद्र यात्रा में लगे पहले पोत पर कप्तान सौम्यजीत सेनगुप्त, एंग्लो इस्टर्न शिप मैनेजमेंट की मास्टर के रूप में, श्री सुरजीत मिस्रो, फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड की चीफ़ इंजीनियर के रूप में, सुश्री दीपाली कुलकर्णी, वर्तमान में चीफ़ इंजीनियर के सक्षमता प्रमाण हेतु परीक्षा दे रही, टीके टैंकर की ओर से समुद्र यात्रा, सुश्री नीतू सिंह हाल ही में इन्होंने सेकेंड इंजीनियर के सक्षमता प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण की है, एससीआई के लिए समुद्र यात्रारत इस पोत पर सवार थीं । इनके अलावा अन्य ने नौवहन की चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए और भारत सरकार / नौमनि की उनके मार्गदर्शन, निरूपण, विनियमन तथा समय-समय पर निदेश आदि की सराहना की । इन्होंने आईएमओ, आईएलओ, आईटीएफ, आईसीएस तथा अन्य संस्थानों की उनके निदेशों, योगदानों, सहयोग, सहायताओं तथा समुद्रकर्मियों को गतिशील बनाए रखने के लिए यथा समय आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सराहना की ।

सुश्री सोमा टंडन, महाप्रबंधक (कार्मिक), भारतीय नौवहन निगम इस सफल आयोजन की मास्टर ऑफ सेरेमनी की ।

डा. राऊत पांडुरंग कोंडीराम, भारासे, उप नौवहन महानिदेशक एवं सदस्य सचिव, एनएमडीसी (केन्द्रीय) ने धन्यवाद ज्ञापित किया । कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ ।

******